jkT; yfyr dyk vdkneh] m0iz0

yky ckjknjh Hkou] yfyr dyk vdkneh ekxZ

¼fudV gkbZdksVZ½ y[kuÅ& 226 001 nwjHkk"k% 2628453

vfrfFk x`g vkj{k.k fu;ekoyh

अकादमी द्वारा बाहर से आने वाले कलाकारों को आवासीय सुविधा प्रदान करने के उद्देय से 07 बिस्तर का संयुक्त अतिथि गृह (डोरमेटरी) स्थापित किया गया है। इसके उपयोग एवं आरक्षण के नियम एवं शर्ते निम्नवत् हैं :–

lqfo/kk,¡

1. अतिथि गृह में संयुक्त रूप से उपयोग हेतु केवल एक बाथरूम है।
2. प्रति बेड एक चादर (बेड शीट) व एक तकिया (पिलो) प्रदान किया जायेगा ।
3. प्रति बेड एक कम्बल आवश्यकता होने पर प्रदान किया जायेगा, परन्तु कम्बल का दुरूपयोग/क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में उसकी धुलाई/कम्बल की कीमत देनी होगी ।

fu;e ,oa 'krsZ

1. अकादमी परिसर विलम्बतम रात्रि 10.00 बजे तक आवागमन के लिये खुला रहेगा। उसके बाद प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी। अतिथि से भेंट करने आने वाले भी उक्त अवधि तक ही रुक सकेंगे ।
2. अपने सामान की सुरक्षा अतिथि को स्वयं करनी होगी ।
3. अतिथि गृह का किराया पहुंचने के समय से 24 घंटे के हिसाब से आगणन किया जायेगा।
4. अतिथि गृह में ठहरने से पूर्व अपना पूर्ण स्थायी/अस्थायी पता, दूरभाष/मो0 नम्बर व आगमन के कारण का विवरण लिखित में आरक्षण फार्म में दिया जाना आवश्यक होगा ।
5. अतिथि गृह का निर्धारित शुल्क रु0 60/– (रुपये साठ) प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की दर से पूर्ण रूप से अग्रिम व नकद जमा करना होगा ।
6. अकादमी के सामान्य सभा कार्यकारिणी समिति/वित्त समिति/गठित उपसमिति की बैठकों में भाग लेने हेतु आमंत्रित सदस्यों से रु0 25/– (रुपये पच्चीस) मात्र प्रति दिन की दर से भुगतान लिया जायेगा। निजी यात्रा पर नियम सं0 5 के अनुसार निर्धारित शुल्क देय होगा ।
7. अतिथि गृह छोड़ने से पूर्व अकादमी से प्राप्त की गई सामग्री सम्बन्धित सहायक/चौकीदार को वापस करनी होगी ।
8. अतिथिगृह में मद्यपान पूर्णतया वर्जित है। इस नियम के उल्लंघन की सूचना प्राप्त होने की दशा में आरक्षी व्यक्ति के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जायेगी साथ ही पुनः भविष्य में आरक्षण नहीं दिया जायेगा।
9. अग्रिम रूप से आरक्षित कराने पर अतिथि को अपने आगमन की निश्चित तिथि व समय कार्यावधि/कार्य दिवस में अवश्य देनी होगी ताकि तद्नुसार अतिथि गृह के चौकीदार/अटेन्डेंट को निर्देशित किया जा सके ।
10. अतिथि गृह का आरक्षण अधिकतम 7 दिन तक के लिए दिया जायेगा। इसके उपरान्त ठहरने की आवश्यकता होने पर सक्षम अधिकारी से अनुमति मिलने पर ही आरक्षण बढ़ाया जायेगा ।